सिस्टर्स ऑफ़ सेंट जोसफ ऑफ़ क्लूनी

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

अप्रैल 18, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर0 एफ0 नरीमन, न्यायमूर्तिगण]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का आयोग अधिनियम, 2004:

उपधारा 10 (1) और 11 (च) शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा अपीलकर्ता सोसायटी ने कॉलेज को एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया।इसके बाद, कॉलेज को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एन. सी. एम. ई. आई.) ने कॉलेज को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया और अल्पसंख्यक दर्जा का प्रमाण पत्र जारी किया। सोसायटी के साथ–साथ कॉलेज के शासी निकाय ने रिट याचिका दायर की–उच्च न्यायालय ने घोषणा और उसके परिणामस्वरूप प्रमाण पत्र जारी करने को इस आधार पर अमान्य ठहराया कि एन. सी. एम. ई. आई. के पास ऐसी घोषणा करने का कोई मूल क्षेत्राधिकार नहीं था। अपील में अभिनिर्धारित किया गया'' धारा 11 (च) एक व्यापक प्रावधान है जो एन. सी. एम. ई. आई. को संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है–किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देना और उसका दर्जा इस प्रकार घोषित करना–संशोधन अधिनियम, 2006 के बाद, सक्षम प्राधिकारी के पास अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की शक्ति है। हालांकि, शैक्षणिक संस्थान को स्थापना के बाद किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने की घोषणा के लिए,, एन. सी. एम. ई. आई. के पास शक्ति है–इस प्रकार, वर्तमान मामले में, धारा 11 (च) एन. सी. एम. ई. आई. को प्रमाण पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। विचाराधीन संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में प्रमाण पत्र– इसलिए एन. सी. एम. ई. आई. के आदेश विधिक हैं–भारतीय संविधान अनुच्छेद 30

न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए,

यह अभिनिर्धारित किया किः 1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद के चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उनकी पसंद धारा 11 (च) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के आयोग को सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी संस्थान की स्थिति से संबंधित और इस तरह उसकी स्थिति घोषित करने संबंधित। "सभी प्रश्न" के साथ–साथ "संबंधित", वे अभिव्यक्ति है जो कि व्यापक महत्व के शब्द है, एन.सी.एम.इ.आइ. को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में किसी संस्थान की स्थिति के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो सकते है। धारा 11 एफ स्पष्टतः एन.सी.एम.ए.अाइ को अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना आैर/या प्रशासन के अधिकार के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। इसमें एेसे संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने की शक्ति भी शामिल है, जो इस रूप में स्थापित आैर प्रशासित है, ताकि वह संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का लाभ उठा सके (कंडिका 16) (1048–डी–एफ)

धारा 11(एफ) के साथ पेश किया गया था, धारा 11(एफ) में निहित पूर्वोक्त शक्ति के एक पहलू को उजागर करता है, अर्थात किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को स्थापना के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो 2006 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखता है, उसे उक्त उददेश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त शक्तियां समवर्ती है। सामंजस्यपूर्ण पढ़ने से 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए सभी आवेदन विधि के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने चाहिए। दूसरी आेर, स्थापना के बाद किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति की घोषणा के लिए एन.सी.एम.इ.आई के पास प्रश्न तय करने आैर एेसी संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति घोषित करने की शक्ति होगी। (कंडिका17)(1048–जी–एच; 1049–ए)

3. अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार का त्यजन नहीं किया जा सकता है। उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय ने एन.सी.एम.इ.आई के दिनांक 05.11.2009 के आदेश को स्वीकार कर लिया है जिसमें एन.सी.एम.इ.आई ने कॉलेज के अल्पसंख्यक स्थिति के प्रश्न पर विचार किया था। इसलिए इस मामले को एक शासी निकाय के आदेश पर नये सिरे से निर्णय लेने के भेजना उचित नहीं होगा, जो अब सोसायटी द्वारा स्थापित कॉलेज को संचालित करने का दावा नहीं कर सकता है। चूंकि नयी शासी निकाय का गठन इस आधार पर किया गया है कि कॉलेज एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, समानांतर शासी निकाय, का इस प्रकार उसे जारी रखने का दावा, नयी शासी निकाय, के गठन के बाद आधारहीन है। इस प्रकार यह मामला नये सिरे से सुनवाई के लिए एन.सी.एम.इ.आई. को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।(कंडिका 22) (1050–जी–एच; 1051–बी)

4. जहां तक मौजूदा अल्पसंख्यक संस्थान की बात है तो धारा 11 (एफ) स्पष्ट रूप से एन.सी.एम.इ.आई.को अल्पसंख्यक संस्थान की स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र देने का क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। आदेश दिनांक 23.10.2007 तथा प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.2007 को वैध होना दर्शित किया गया। (कंडिका 21, 23)(1050–ई; 1051–सी)

पी.ए.ई.एम. शासी निकाय कॉलेज विरूद्ध झारखंड राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2012 को निर्णित; कार्पोरेट एजुकेशनल एजेंसी विरूद्ध जेम्स मैथ्यू (2017) 15 एससीसी 595 के निर्णय पर भरोसा किया गया।

<u>संदर्भित न्याय दृष्टांत</u>

(2017) 15 एससीसी 595 भरोसा किया गया पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील क्रमांक 3945/2018

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एफ.एम.ए क्रमांक 3579/2013 के निर्णय तथा आदेश से उदभुत।

सहित

सी.ए.क्रमांक 3946, 3947, 3948, 3949 तथा 3950/2018

संजय हेगड़े, चंद्रउदय सिंह, सलमान खुर्शीद, डॉ.राजीव धवन वरिष्ठ अधिवक्ता, फुजैल अहमद अययूबी, अब्दुल कादिर, आईबद मुश्ताक, सुश्री अदिति गुप्ता, प्रांजल किशोर, रोमी चाको, वरूण मुदगल, चदंन कुमार मंडल, इम्तियाज अहमद, श्रीमती नगमा इम्तियाज, एफ फरहान खान, अहमद जुरगाम, सुश्री अमरा मुसावी,

सुश्री गीतांजलिकपूर एम. रोशनी आनंद, कु.आमना, मैसर्स इक्विटी लेक्स एसोसिएटस, अरूण चौधरी, कर्मा दोरजी, सुश्री श्रुति चौधरी, अनुपम लाल दास, हर्ष हीरू गुरसाहनी, सुश्री आस्था शर्मा, अमित वर्मा, मै. पीएलआर चेम्बर्स एंड कंपनी, टी.वी. जॉर्ज, दुष्यंत कुमार, राकेश तनेजा, पियूष के.रॉय, श्रीमती काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, सलाहकार, उपस्थित पार्टियों के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति **श्री आर.एफ. नरीमन** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपीलों के वर्तमान समूह पर निर्णय लेने के लिए, सुविधा की दृष्टि से विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 35786/2016 से तथ्य लिये गये है। द सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961, के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। याचिकाकर्ता–सोसायटी के संघ ज्ञापन के खंड 3 (बी) में कहा गया है:

" महाविद्यालयों, विद्यालयों, संस्थानों, छात्रावासों, घरों, संघों, पुस्तकालयों, वाचनालयों या सभी के लिए शिक्षा के उददेश्य किसी अन्य गतिविधि को प्राप्त करना, अधिग्रहण करना, किराया पर लेना, प्रदान करना, स्थापित करना, सहायता करना, रखरखाव करना, प्रशासन करना और/या चलाना।" व्यक्ति, मुख्य रूप से कैथोलिकों के लिए, बल्कि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए भी, चाहे वे किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या सामाजिक स्थिति के हो।"

3. सोसायटी ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कॉलेजों के निरीक्षक को संबोधित एक पत्र दिनांक 16.12.1997 में स्पष्ट किया कि वह अल्पसंख्यक दर्जा या विशेष रियायतें नहीं चाहती है– वह धर्मनिरपेक्ष आधार पर एक कॉलेज स्थापित करना चाहती है। 10.1.1998 को, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के निरीक्षक ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि मूल रूप से समाज प्रस्तावित कॉलेज के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा चाहता था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव ने अपने पत्र दिनांक 21.7.1998 द्वारा क्लूनी महिला महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को इस आधार पर मंजूरी दे दी कि यह एक गैर–अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्ष संस्थान होगा। इस आधार पर, कॉलेज के पहले शासी निकाय का गठन उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कॉलेजों के शासी निकाय से संबंधित परिनियम 1 के अनुसार किया गया था। दिनांक 13.09.2004 को विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2003–2004 से क्लूनी महिला कॉलेज को स्थायी संबद्धता प्रदान की।

4. एक और हृदय परिवर्तन के बाद, सोसायटी ने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (इसके बाद एन. सी. एम. ई. आई. के रूप में संदर्भित), को दिनांक 27.06.2007 को एक पत्र जारी किया, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गयी। क्लूनी महिला कॉलेज के लिएएन. सी.एम.ई.आई. ने दिनांक 27.10.2007 को एकपक्षीय आदेश पारित कर उक्त महिला कॉलेज को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित कर दिया। इस आदेश के अनुसरण में, 25.10.2007 को, एन.सी.एम.ई.आई. ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया। 5.9.2008 को, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने उक्त प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इसे एन. सी. एम. ई. आई. ने 5.11.2009 पर खारिज कर दिया था।

5. इन घटनाओं के कारण सोसायटी ने 2010 की डब्ल्यू. पी. संख्या 4406 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई:

" ए. एक घोषणा कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के शासी निकायों से संबंधित से संबंधित कानूनों में से कानून 1 अधिकारातीत आैर असंवैधानिक है;

बी. परमादेश या कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश जो तीसरे प्रतिवादी को क्लूनी महिला महाविद्यालय के शासी निकाय के कार्यों का प्रयोग करने से रोकता है आैर उन्हें क्लूनी महिला महाविद्यालय के शासी निकाय के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकता है।"

6. इसी तरह, शासी निकाय, क्लूनी महिला महाविद्यालय (यहां प्रतिवादी क्रमांक 3), जो विश्वविद्यालय के कानून के तहत स्थापित शासी निकाय थी, ने भी 2010 के डब्ल्यू. पी. नं. 5002 (डब्ल्यू) के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उसने प्रार्थना कीः

" (क) एक रिट आैर/या परमादेश की प्रकृति में प्रतिवादी अधिकारियों को प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा जारी की गयी दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 की कथित घोषणा को रद्द करने और/या, निरस्त और/या, वापस लेने के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

(ख) एक रिट और/या परमादेश की प्रकृति में उत्तरदाताओं, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6, को निर्देशित करते हुए जारी किया जाता है। कि प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा जारी दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 की कथित घोषणा एफ. सं. 506/2007 के आधार पर किसी भी तरह से कार्य करने और/या आगे कार्य करने और/या कोई कदम उठाने और/या किसी भी अधिकार का दावा करने से रोकने के लिए।

(ग) एक घोषणा यह घोषणा करते हुए जारी करते हुए कहा गया कि प्रत्यावादी संख्या 2 के पास किसी मौजूदा शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(घ) एक रिट और/या परमादेश की प्रकृति में उत्तरदाताआें को प्रतिवादी क्रमांक 9 द्वारा जारी 20 फरवरी, 2010 के कथित पत्र को तुरंत रद्द करने और/या रद्द करने और/या वापस लेने का निर्देश जारी किया जाता है।

(च) एक रिट और/या परमादेश की प्रकृति में उत्तरदाताओं, विशेष रूप से प्रतिवादी क्रमांक 9, को यह निर्देश जारी किया जाता है कि याचिकाकर्ताआें को यूनियन बैंक कलिंमपांग शाखा जिला दार्जलिंग में रखे गये एस. बी. खाता संख्या 3936 0201 000 3495 वाले बैंक खाते को संचालित करने की अनुमति दी जाये।

(छ) एक रिट और/या सर्टिआेरारी की प्रकृति में उत्तरदाताआें को मामले के पूरे रिकॉर्ड को इस माननीय न्यायालय में भेजने का आदेश जारी किया जाता है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा जारी कथित घोषणा एफ. क्र. 506/ 2007, 25 अक्टूबर, 2007 तथा प्रतिवादी क्रमांक 9 द्वारा जारी कथित पत्र दिनांक 20.02.2010 आधारित है तथा प्रमाणित होने पर इसे रदद करें ताकि उचित न्याय प्रदान किया जा सके।

7. एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए दोनों रिट याचिकाआें का निपटारा कर दिया कि एन. सी. एम. ई. आई. के पास क्लूनी महिला महाविद्यालय, की अल्पसंख्यक स्थिति घोषित करने का कोई मूल क्षेत्राधिकार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांकित 23.10.2007 आदेश और उसके बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया गया। डिवीजन बेंच में एक अपील का भी यही परिणाम निकला।

8. एन. सी. एम. ई. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय आर. हेगड़े ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (जिसे इसके बाद

2004 अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 10 (1) और धारा 11 (एफ) की सही संरचना पर, एक संस्थान जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषणा चाहता है, उसके पास या तो 2004 अधिनियम के तहत स्थापित प्राधिकारी को आवेदन करने का विकल्प है। या सीधे एन. सी. एम. ई. आई. को आवेदन करने का विकल्प है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, एक मूल आवेदन पर निर्णय लेने की शक्ति, जो धारा 11 (एफ) में निहित है, धारा 12 ए और 12 बी में निहित शक्ति से पृथक और अलग है, जो एन. सी. एम. ई. आई. की एक अपीलीय शक्ति है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, 2004 के अधिनियम को इस प्रकार एक एेसा अधिनियम माना जाना चाहिए जो प्राधिकरणों के तीन समूहों को समवर्ती शक्ति प्रदान करता है, अर्थात्, विधि द्वारा स्थापित सक्षम प्राधिकारी, इस उद्देश्य के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण, साथ ही साथ एन. सी. एम. ई. आई.। उनके अनुसार, इसलिए, निर्णय विधिक रूप से गलत था और इसे रदद कर दिया जाना चाहिए।

9. याचिकाकर्ता–सोसायटी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंदर उदय सिंह ने यह बताते हुए दुख व्यक्त किया कि विवादित फैसले के तहत भी यह स्पष्ट था कि जिस समय सोसाइटी द्वारा ऐसा आवेदन किया गया था, उस समय सोसाइटी के लिए एक नए कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए क़ानून के तहत कोई सक्षम प्राधिकारी स्थापित नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वह केवल एन. सी. एम. ई. आई. था जिससे सोसायटी संपर्क कर सकती थी। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, संस्थान, एक अल्पसंख्यक संस्थान है जो 2004 के अधिनियम के लागू होने से पहले ही स्थापित किया जा चुका था, केवल धारा 11 (एफ) के तहत ही अपनी स्थिति को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने के लिए जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, धारा 10 (1) केवल एक नई अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना के सीमित उद्देश्य के लिए है, जिसके लिए किसी को 2004 अधिनियम के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाना होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इसलिए आक्षेपित निर्णय रदद किये जाने योग्य है।

10. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 का उल्लेख किया आैर कुछ विस्तार से 2004 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया। हालाँकि, उन्होंने बताया कि 2004 के अधिनियम को 2006 में और फिर 2010 में संशोधित किया गया था, जिससे यह स्थिति बनी कि धारा 10 केवल उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने से संबंधित होगी जो पहली बार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखता है। अन्यथा, धारा 11 (एफ) के तहत एन. सी. एम. ई. आई. के कार्य इतने व्यापक होंगे कि इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति घोषित करने की शक्ति शामिल होगी, जो 2004 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले स्थापित किए गए थे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह स्पष्ट था कि क्रूनी महिला महाविद्यालय की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष महाविद्यालय के रूप में की गयी थी आैर केवल 2007 में ही इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने के लिए समाज द्वारा एक स्वैच्छिक कदम उठाया गया था। चूंकि एन.सी.एम.ई.आई. द्वारा पारित किसी भी आदेश में इस पहलू पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है कि क्या एेसे महाविद्यालय को एक धर्म निरपेक्ष संस्थान बनने का विकल्प चुनने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया जा सकता है, यह एक एेसा मामला है जिसे एन.सी.एम.ई.आई को निर्णय करने के लिए भेजा जाना चाहिए।

11. हमने सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताआें को सुना ।

12. 2004 के अधिनियम की स्थापना अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सीधी संबद्धता प्रदान करने के लिए प्रारंभिक विचार के साथ की गई थी। बाद में इसे व्यापक आधार आैर

कार्यों के साथ–साथ एन.सी.एम.ई.आई की अर्ध–न्यायिक शक्तियों का विस्तार करने के लिए दो बार संशोधित किया गया। हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैंः

" 2. **परिभाषाएँ–** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

(एए) "उचित सरकार" का अर्थ है–

(i) संसद के किसी अधिनियम के तहत अपने अध्ययन कार्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के संबंध में; आैर
(ii) किसी राज्य अधिनियम के तहत अपने अध्ययन कार्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान के संबंध में, एक राज्य सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी संस्था की स्थापना की गई है। XXX XXX XXX

(ग) "आयोग" से अर्थ धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग है;

(सीए) "सक्षम प्राधिकारी" से अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है;

2004 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद से धारा 10 को तीन चरणों में संशोधित किया गया हैः

<u>" पहला चरण (2004 में अधिनियमित)</u>

10. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का अनुसूचित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का अधिकारः

(1) तत्समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपनी पसंद के अनुसूचित विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है।

(2) अनुसूचित विश्वविद्यालय उस राज्य सरकार से परामर्श करेगा जिसमें उप–धारा (1) के तहत संबद्धता चाहने वाला अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थित है और संबद्धता देने से पहले ऐसी सरकार के विचारों पर विचार किया जाएगा।

<u>दूसरा चरण (2006 में संशोधित)</u>

10. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकारः

(1) कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उक्त उददेश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) सक्षम प्राधिकारी,

(क) दस्तावेजों, शपथपत्रों या अन्य साक्ष्यों, यदि कोई हो, के अवलोकन पर; और

(ख) आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप–धारा (1) के तहत दायर प्रत्येक आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लें और आवेदन को, स्वीकार करें या अस्वीकार करें जैसा भी मामला होः

बशर्ते कि जहां कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(3) जहां उप–धारा (1) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर–

(क) सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता है; या

(ख) जहाँ एक आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और इसकी सूचना उस व्यक्ति को नहीं दी गयी है जिसने एसे प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आवेदन किया है।

यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदन को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।

(4) आवेदक, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर या जहां सक्षम प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर विचार किया है, जैसा भी मामला हो उस समय लागू, नियमों और विनियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना शुरू करने और आगे बढ़ने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए,

(क) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए उप–धारा (1) के तहत आवेदन करता है।

(ख) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें कहा गया हो कि सक्षम प्राधिकारी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है।

<u>तीसरा चरण (2010 में संशोधित)</u>

10. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार —

(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) सक्षम प्राधिकारी, –

(क) दस्तावेजों, शपथपत्रों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, के अवलोकन पर; और (ख) आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप–धारा (1) के तहत दायर प्रत्येक आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय ले और आवेदन को, जैसा भी मामला हो, स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें:

बशर्ते कि जहां एक आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को इस बारे में सूचित करेगा।

(3) जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए उप–धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्ति से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर–

(क) सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता है; या

(ख) जहाँ एक आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और उस व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया है जिसने एेसे प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आवेदन किया है, यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है।

(4) आवेदक, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर या सक्षम प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर विचार किया है, तत्समय विधि के अनुसार लागू नियमों एवं विनियमों जैसा भी मामला हो के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना शुरू करने और आगे बढ़ने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "आवेदक" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए उप–धारा (1) के तहत आवेदन करता है।

(ख) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

2004 अधिनियम के लागू होने के बाद से धारा 11 को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः

" धारा 11 (2004 में अधिनियमित)

11. आयोग के कार्य – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी आयोग

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को सलाह दे सकता है जो उसे भेजा जा सकता है –

(ख) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना आैर प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से वंचित या उल्लंघन के संबंध में शिकायतों आैर किसी भी विवाद से संबंधित किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, या उसकी आेर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, स्वतः संज्ञान लेकर पूछताछ कर सकती है। किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आैर इसके क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त सरकार को अपने निष्कर्ष की रिपोर्ट करना ; इसका उल्लेख किया;

(ग) किसी अदालत के समक्ष अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के किसी भी अभाव या उल्लंघन से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में एेसी अदालत की अनुमति से हस्तक्षेप करना ;

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या तत्काल लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें;

(ङ) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित उनकी पसंद की संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति आैर चरित्र को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उपायों को निर्दिष्ट करें;

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी भी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय लेना और उसकी स्थिति की घोषणा करना;

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करना ; और

(ज) ऐसे अन्य कार्य और चीजें करें जो आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या अनुकूल हों।

धारा 12, 12 ए, 12 बी, 12 सी, 12 एफ और धारा 22 इस प्रकार हैं:

" **12. आयोग की शक्तियाँ–**

(1) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और किसी विश्वविद्यालय के बीच ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्धता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(2) आयोग के पास, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, किसी मुकदमें की सुनवायी करने वाली सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और विशेष रूप से, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:

(क) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाना आैर उपस्थित कराना आैर शपथ पर उसकी जांच करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज़ को खोजवाना या प्रस्तुत करवाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 आैर 124 के प्रावधानों के अधीन किसी भी कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज़ की प्रतिलिपि की मांग करना;

(ङ) गवाहों या दस्तावेजों की जाँच के लिए कमीशन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में आैर धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा आैर आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

12 ए. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील–

(1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उप–धारा (2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के तहत अपील आवेदक को सूचित उप–धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगी:

बशर्ते कि आयोग तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(3) आयोग को एक अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी जो निर्धारित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है।

(4) आयोग, पक्षों को सुनने के बाद, यथाशीघ्र एक आदेश पारित करेगा, और एेसे निर्देश देगा जो उसके आदेशों को प्रभावी बनाने या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(5) उप–धारा (4) के तहत आयोग द्वारा दिया गया आदेश आयोग द्वारा दीवानी अदालत की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, जहां तक हो सके, उसी तरह लागू होंगे जैसे वे दीवानी अदालत की डिक्री के संबंध में लागू होते हैं।

12 बी. किसी शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति पर निर्णय लेने की आयोग की शक्ति–

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण एक शैक्षणिक संस्थान को ऐसा दर्जा देने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति आयोग को प्राधिकरण के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के तहत एक अपील आवेदक को सूचित किये गये आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर की जाएगी:

बशर्ते कि आयोग तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर इसे दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(3) आयोग में अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी जो निर्धारित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है।

(4) उपधारा 3 के तहत अपील प्राप्त होने पर, आयोग, अपील के पक्षों को सुनवायी का अवसर देने के बाद, शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति पर निर्णय ले सकता है आैर इस तरह के निर्देश देने के लिए प्रवृत्त होगा। जो उचित समझे तथा एेसे सभी निर्देश सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

स्पष्टीकरण– इस धारा और धारा 12 सी के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकरण" का अर्थ है कोई प्राधिकरण या अधिकारी या आयोग जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या उपयुक्त सरकार के किसी भी आदेश के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का प्रमाण पत्र देने के प्रयोजन से स्थापित किया गया है –

12 सी. रद्द करने की शक्ति–

आयोग, किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, जिसे किसी प्राधिकरण या आयोग द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी स्थिति को रद्द किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) यदि शैक्षणिक संस्थान का संविधान, लक्ष्य और उद्देश्य, जिसने इसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, बाद में इस तरह से संशोधित किया गया है कि यह अब या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के उद्देश्य या चरित्र को प्रतिबिंबित नहीं करता है;

(ख) यदि निरीक्षण या जाँच के दौरान अभिलेखों के सत्यापन पर यह पाया जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों और निर्धारित प्रतिशत के अनुसार संस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने में विफल रहा है।

XXX XXX XXX

12 एफ. क्षेत्राधिकार की वर्जना–

कोई भी अदालत (संविधान के अनुच्छेद 226 आैर 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सर्वोच्च न्यायालय आैर उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस अध्याय के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी भी मुकदमें, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर विचार नहीं करेंगे।
XXX XXX XXX

22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होनाः–

इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी उपकरण में असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।"

13. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, जैसा कि यह मूल रूप से 2004 में था, धारा 10 द्वारा केवल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अपनी पसंद के अनुसूचित विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज की मान्यता देने से संबंधित है। इस स्तर पर, एन. सी. एम. ई. आई. के कार्य केवल तीन चीजों तक सीमित थे, अर्थात् उपखंड (ए) के तहत एक सलाहकार कार्य, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से वंचित करना या उनका उल्लंघन करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों उपखंड (बी) के तहत अनुसूचित विश्वविद्यालयों से संबद्धता से संबंधित किसी भी विवाद पर गौर करना आैर एेसे सभी अन्य कार्य करने के लिए एक अवशिष्ट खंड जो उपखंड (सी) के तहत एन. सी. एम. ई. आई. के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो सकता है। 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा एक बड़ा बदलाव आया। इस संशोधन द्वारा, एक व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखता है, उसे धारा 10 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। इसके साथ ही, धारा 11 के तहत, एन. सी. एम. ई. आई. के कार्यों और शक्तियों को यहां ऊपर उल्लेखित मूल उपखंड (ए) से (सी) से परे विस्तारित किया गया था, ताकि उपखंड (एफ) के तहत, किसी भी स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों के निर्णय शामिल किये जा सके। एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान आैर इस रूप में इसकी स्थिति की घोषणा शामिल थी। 2006 के उसी संशोधन अधिनियम ने धारा 12 ए के तहत एन. सी. एम. ई. आई. के साथ–साथ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अधिकारियों के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील की शक्तियां भी प्रदान कीं, जिन्होंने धारा 12 बी के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए आवेदनों को खारिज कर दिया था। कुछ परिस्थितियों में किसी प्राधिकरण या एन. सी. एम. ई. आई. द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति भी एन. सी. एम. ई. आई. में निहित थी।

14. 2010 के संशोधन अधिनियम ने 2004 अधिनियम की धारा 10 (1) में "तत्समय लागू लागू किसी भी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति को जोड़ा।

15. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि 2004 के अधिनियम की धारा 10 (1) और धारा 11 (च) के प्रावधानों के बीच टकराव है। हालाँकि, सामंजस्यपूर्ण रूप से, यह स्पष्ट होगा कि धारा 11 (च) के तहत एन. सी. एम. ई. आई. की शक्तियों का प्रयोग किया जाना है, भले ही उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ

भी निहित हो। दूसरी ओर, सक्षम प्राधिकारी जो धारा 10 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है, वह केवल उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन ही ऐसा कर सकता है।

16. दूसरा, धारा 11 (च) एक बहुत व्यापक प्रावधान है जो एन. सी. एम. ई. आई. को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और उसकी स्थिति घोषित करने का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति "सभी प्रश्न" के साथ–साथ अभिव्यक्ति "संबंधित", जो व्यापक महत्व के शब्द हैं, एन. सी. एम. ई. आई. को उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो कि स्थिति के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो सकता है। अपने आप में देखा जाये तो, धारा 11 (च) में सभी चरणों में एक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित करना शामिल होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। धारा 11 (च) स्पष्टतः एन. सी. एम. ई. आई. को अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और/या प्रशासन के अधिकार के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। शक्ति यही नहीं रूकती इसमें ऐसे संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने की शक्ति भी शामिल है, जो इस रूप में स्थापित और प्रशासित है, ताकि वह संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का लाभ उठा सके।

17. हालांकि धारा 10 (1), जिसे 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11 (च) के साथ पेश किया गया था, धारा 11 (च) में निहित उपरोक्त शक्ति के एक पहलू को उजागर करता है, अर्थात् किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को उसकी स्थापना के समय उसके अधिकार क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुदान इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो 2006 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखता है, उसे उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। श्री हेगड़े के इस तर्क को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि उक्त शक्तियां समवर्ती हैं। सामंजस्य रूप से पढ़े, 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए सभी आवेदन केवल विधि के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जानी चाहिए। दूसरी आेर, स्थापना के बाद किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति की घोषणा के लिए, एन. सी. एम. ई. आई. के पास प्रश्न तय करने आैर एेसी संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति घोषित करने की शक्ति होगी।

18. हम पाते हैं कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इन प्रावधानों की पहुंच पर परस्पर विरोधी विचार रखे हैं। कलकत्ता, बम्बई और पंजाब उच्च न्यायालयों ने यह विचार व्यक्त किया है कि एक अपीलीय शक्ति को मूल शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है और इसलिए जब किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे की घोषणा की बात आती है, तो धारा 11 (च) को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण, धारा 11 (च) को अमान्य करने के अलावा, अधिनियम की धारा 12 (2) की भी अनदेखी करता है, जो एक दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियों को प्रदान करता है, जो शक्तियां केवल प्रथम न्यायालय को संदर्भित करती है। दूसरी ओर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि धारा 10 और 11 (च) विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैंः धारा 10 एक संस्थान की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की शक्ति है और धारा 11 (च) किसी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों के निर्धारण से संबंधित है।

19. इस न्यायालय ने हमारे सामने रखे गये प्रश्न का सीधा उत्तर दिये बिना इस विषय पर चर्चा की है। इस प्रकार, **पी.ए.इ.एम. कॉलेज के शासी निकाय बनाम. झारखंड** राज्य, निर्णय दिनांक में, इस न्यायालय ने 2004 के अधिनियम की धारा 11 (च) और 12 बी का उल्लेख करने के बाद कहाः

" उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आयोग के पास किसी भी संस्थान की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और उसकी स्थिति घोषित करने की शक्ति है। इसके अलावा धारा 12 बी के तहत, जहां केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण ने किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है, पीड़ित व्यक्ति प्राधिकरण के एसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है। इस प्रकार, 2004 के अधिनियम की धारा 11 (च) और संशोधन अधिनियम की धारा 12 बी में निहित प्रावधान, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी भी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और ऐसी स्थिति की घोषणा के लिए संपूर्ण प्रावधान हैं।

20. **कार्पोरेट एजुकेशनल एजेंसी v. जेम्स मैथ्यू,** (2017) 15 एस. सी. सी. 595 (600–601 पर) में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के एक फैसले पर विचार किया, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित था। इस न्यायालय ने यह ध्यान देने के बाद कि अपीलार्थी पहले से ही एक मौजूदा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान था, यह निर्णय दिया:

" 9. अध्याय III अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों से संबंधित है। धारा 10 के तहत, जो कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। अधिनियम की धारा 2 (सीए) के तहत "सक्षम प्राधिकारी" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है, अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान करने के लिए उपर्युक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। XXX XXX XXX

11. इसलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 के लागू होने के बाद, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करना भी राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र और अधिदेश के भीतर है। एक बार जब आयोग इस प्रकार एक प्रमाण पत्र जारी करता है, तो यह एक मौजूदा स्थिति की घोषणा होती है।

21. इस निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक मौजूदा अल्पसंख्यक संस्थानों का संबंध है, धारा 11 (एफ) स्पष्ट रूप से एन. सी. एम. ई. आई. को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। हम सम्मानपूर्वक उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत है।

22. हालांकि श्री धवन ने हमें मामले को गुण–दोष के आधार पर नये सिरे से सुनवाई के लिए एन. सी. एम. ई. आई. को भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। हम इस तथ्य का उल्लेख कर सकते है कि कॉलेज को एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान के रूप में शुरू किया गया था और वह बीच में एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में बदलना चाहता था, जो कि श्री धवन के अनुसार स्वीकार्य नहीं था, यह विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठायी गयी याचिका नहीं है। हालाँकि, यह याचिका खंड पीठ के समक्ष उठाई गई थी और दोनों न्यायाधीशों द्वारा यह कहते हुए जवाब दिया गया था कि अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार को माफ नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, मामले के तथ्यों पर, यह इंगित करना आवश्यक है कि उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय ने एन. सी. एम. ई. आई. के दिनांक 5.11.2009 के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जिसमें एन. सी. एम. ई. आई. ने उपरोक्त प्रश्न पर विचार किया था। इसलिए, इस मामले को एक शासी निकाय के आदेश पर नए सिरे से निर्णय करने के लिए वापस भेजना उचित नहीं होगा, जो अब समाज द्वारा स्थापित कॉलेज को संचालित करने का दावा नहीं कर सकता है। केवल यह इंगित करने की आवश्यकता है कि, 04.05.2009 को एक पत्र द्वारा क्लूनी महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल ने विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध किया कि वे विश्वविद्यालय के कानून के तहत गठित शासी निकाय का कार्यकाल

केवल नये शासी निकाय के गठन तक बढ़ाये। चूंकि नये शासी निकाय का गठन इस आधार पर किया गया है कि क्लूनी महिला कॉलेज एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, हमारा विचार है कि समानांतर शासी निकाय, जो इस तरह जारी रहने का दावा करता है, के पास नये शासी निकाय के गठन के बाद खड़े रहने का कोई आधार नहीं है। एेसा मामला होने के कारण हम श्री धवन के मुवक्किल के आदेश पर मामले को गुण–दोष के आधार पर नये सिरे से सुनवाई के लिए एन. सी. एम. ई. आई. को वापस भेजने के इच्छुक नहीं है।

23. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया जाता है। आदेश दिनांक 23.10.2007 और प्रमाणपत्र दिनांक 25.10.2007 को कानूनन वैध घोषित किया जाता है।

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों के वर्तमान समूह का निराकरण इस निर्णय के अनुसार किया जाता है।

अपीलों का निराकरण किया गया।

निधि शर्मा तिवारी